राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

प.5(1)प्रसु/सम/अनु–1/2008पार्ट जयपुर, दिनांक : 26 सितम्बर, 2016

–: आज्ञा :–

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश पर राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में निर्वाचन विभाग द्वारा फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 01.10.2016 से 10.01.2017 तक निर्धारित किया गया है।

अतः मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुडे अधिकारियों/कर्मचारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति.जिला कलक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार) एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों/पदाभिहित अधिकारियों के स्थानान्तरणों पर दिनांक 01.10.2016 से 10.01.2017 तक प्रतिबन्ध लगाया जाता है। पुनरीक्षण अवधि में अत्यावश्यक मामलों में आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएगें।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

मानक वितरण